भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4021

जिसका उत्तर 19 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

महाराष्ट्र के लिए विशेष सिंचाई योजनाएं

4021. श्री नारायण तातू राणे:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश भर में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए उन्नत सिंचाई तकनीक उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उक्त उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा जारी की गई धनराशि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास महाराष्ट्र राज्य के लिए जिलावार कोई विशेष सिंचाई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में सिंचाई प्रणाली को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार विशेषकर महाराष्ट्र में क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) से (ड.): प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) एक अंब्रेला योजना है, जिसमें जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे दो प्रमुख घटक अर्थात् त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी), और हर खेत को पानी (एचकेकेपी) शामिल हैं। जबकि एचकेकेपी में चार उप-घटक होते हैं: (i) कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (सीएडी और डब्ल्यूएम); (ii) सतही लघु सिंचाई (एसएमआई); (iii) जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण एवं पुनरूद्धार (आरआरआर); और (iv) भूजल विकास (जीडब्ल्यू)। वर्ष 2016 में, संशोधित एआईबीपी प्रारूप के शुभारंभ के साथ, एचकेकेपी के सीएडी और डब्ल्यूएम उप-घटक को एआईबीपी के पारी-पासू कार्यान्वयन में शुरू किया गया है।

इसके अलावा, दिसंबर, 2021 में, वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए पीएमकेएसवाई के कार्यान्वयन को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। हालांकि, पीएमकेएसवाई-एचकेकेसीपी के तहत वर्ष 2021-22 तक भूजल घटक को प्रतिबद्ध जिम्मेदारियों के लिए ही अस्थायी रूप से अनुमोदित किया गया है, जिसे बाद में चल रहे कार्यों के पूरा होने तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा, प्रति बूंद अधिक फसल घटक, जो पहले पीएमकेएसवाई का एक घटक था, को अब राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत कृषि और किसान

कल्याण विभाग (डीओए एंड एफडब्ल्यू) द्वारा अलग से कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी) का कार्यान्वयन भूमि संसाधन विभाग (डीओएलआर) द्वारा किया जा रहा है।

एआईबीपी घटक, देश में, नई सिंचाई क्षमता के सृजन/सिंचाई क्षमता की बहाली के लिए वृहद एवं मध्यम तथा विस्तार, नवीकरण और आधुनिकीकरण (ईआरएम) परियोजनाओं को पूरा करने पर केन्द्रित है। सीएडी एंड डब्ल्यूएम सृजित सिंचाई क्षमता और इसकी उपयोगिता के बीच अंतर को कम करने और जल की बरबादी को कम करने के लिए ऑन-फार्म जल उपयोग दक्षता में सुधार करने के लिए कमान क्षेत्र विकास के प्रति समर्पित है। एचकेकेपी-एसएमआई और आरआरआर सुनिश्चित सिंचाई के अतंर्गत ऑन-फार्म पानी की वास्तविक पहुंच बढ़ाने और खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करने के लिए लघु सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित हैं। पीडीएमसी ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी परिशुद्ध सिंचाई और अन्य जल बचत प्रौद्योगिकियों को अपनाने से संबंधित है। डब्ल्यूडीसी, मृदा और जल संरक्षण, भूजल के पुर्नसृजन, रनऑफ को रोकने और जल संचयन, जल प्रबंधन और किसानों के लिए फसल-तालमेल आदि से संबंधित विस्तार कार्यकलापों को बढ़ावा देने की दिशा में वर्षा सिंचित क्षेत्रों के एकीकृत विकास की दिशा में कार्य करता है।

इसके अलावा, जुलाई, 2018 में भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता के लिए विदर्भ और मराठवाड़ा तथा शेष महाराष्ट्र के सूखा प्रवण जिलों में 83 सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) परियोजनाओं और 8 वृहद/मध्यम सिंचाई (एमएमआई) परियोजनाओं को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए एक विशेष पैकेज शुरू किया गया है।

पिछले पांच वर्षों और मौजूदा वर्ष में पीएमकेएसवाई के विभिन्न घटकों के लिए जारी केंद्रीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

इसके अलावा, वर्ष 2019-20 से वर्ष 2024-25 के दौरान नवंबर, 2024 तक विशेष पैकेज के तहत महाराष्ट्र को 2,371.13 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता प्रदान की गई है।

पीएमकेएसवाई-एआईबीपी और महाराष्ट्र पैकेज के तहत महाराष्ट्र में परियोजनाओं का जिला-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

इस मंत्रालय में परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए परियोजनाओं की प्रगति की उच्चतम स्तर पर मॉनीटरिंग की जाती है। सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय इन परियोजनाओं की वास्तविक और वित्तीय प्रगति की परियोजना-वार आवधिक समीक्षा करते है और समस्याओं के यथाशीघ्र निपटान के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयों को अंतिम रूप दिया जाता है। परियोजनाओं के अंतर्गत आने वाले दिक्कतों और बाधाओं को परियोजना मॉनीटरिंग समूह (पीएमजी) पोर्टल पर भी दर्शाया जाता है और सचिव (समन्वय), मंत्रिमंडल सचिवालय के अधीन परियोजना मानीटरिंग समूह की बैठकों में इनका निपटान किया जाता है।

*****

अनुलग्नक-I

"महाराष्ट्र के लिए विशेष सिंचाई योजनाएं" के संबंध में दिनांक 19.12.2024 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 4021 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

क. पीएमकेएसवाई-एआईबीपी और पीएमकेएसवाई-एचकेकेसीपी के तहत वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 और मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान राज्यवार जारी की गई केंद्रीय सहायता

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्यों के नाम	पीएमकेएसवाई - एआईबीपी	सीएडी और डब्ल्यूएम	एचकेकेपी- एसएमआई और आरआरआर	एचकेकेपी- जीडब्ल्यू
1	आंध्र प्रदेश	22.63	--	--	--
2	अरुणाचल प्रदेश	--	--	522.83	79.96
3	असम	41.98	4.00	1,043.82	439.65
4	बिहार	881.29	--	50.37	--
5	छत्तीसगढ़	49.62	6.87	--	--
6	गोवा	--	3.84	--	--
7	गुजरात	4,545.56	--	5.73	71.44
8	हिमाचल प्रदेश	1,914.5	--	489.45	--
9	जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	39.71	1.87	166.17	--
10	लद्दाख, संघ राज्य क्षेत्र	2.98	--		--
11	झारखंड	756.73	--	--	--
12	कर्नाटक	1,190.05	18.10	67.56	--
13	केरल	--	2.69	--	--
14	मध्य प्रदेश	796.77	72.46	--	--
15	महाराष्ट्र	2,639.29	224.05	--	--
16	मणिपुर	270.90	9.82	195.25	54.40
17	मेघालय	--	--	300.49	--
18	मिजोरम	--	--	24.46	13.84
19	नागालैंड	--	--	239.60	16.25
20	ओडिशा	1,208.86	34.47	101.89	--
21	पंजाब	1,061.93	102.08	--	--
22	राजस्थान	822.75	145.64	31.72	--
23	सिक्किम	--	--	70.29	--
24	तमिलनाडु	34.74	--	117.99	5.35
25	तेलंगाना	981.49	--	--	--
26	त्रिपुरा	--	--	9.00	43.63
27	उत्तर प्रदेश	1,421.82	156.00	--	26.69
28	उत्तराखंड	676.64	--	221.97	13.72
	कुल	**19,360.24**	**781.89**	**3,699.2**	**764.89**

ख. <u>पीएमकेएसवाई-पीडीएमसी और डब्ल्यूडीसी के तहत जारी केंद्रीय सहायता</u>

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	पीएमकेएसवाई-पीडीएमसी	पीएमकेएसवाई-डब्ल्यूडीसी
1	आंध्र प्रदेश	1185.57	325.37
2	अरुणाचल प्रदेश	112.13	316.43
3	असम	150.03	396.79
4	बिहार	62.35	222.58
5	छत्तीसगढ़	174.72	245.37
6	गोवा	1.6	6.57
7	गुजरात	1186.34	296.04
8	हरियाणा	307.60	36.57
9	हिमाचल प्रदेश	65.49	111.97
10	झारखंड	166.99	211.15
11	जम्मू और कश्मीर	44.50	162.91
12	कर्नाटक	2052.64	376.71
13	केरल	36.83	75.49
14	मध्य प्रदेश	415.81	753.46
15	महाराष्ट्र	1471.09	449.13
16	ओडिशा	229.76	431.26
17	पंजाब	9.75	15.36
18	राजस्थान	778.86	1101.13
19	तमिलनाडु	1701.51	145.70
20	तेलंगाना	64.22	180.79
21	उत्तराखंड	207.92	91.29
22	उत्तर प्रदेश	781.48	135.30
23	पश्चिम बंगाल	119.00	188.69
24	मणिपुर	162.10	35.99
25	मेघालय	15.00	98.21
26	मिजोरम	119.00	102.13
27	नागालैंड	245.17	202.74
28	सिक्किम	230.28	28.05
29	त्रिपुरा	48.02	71.97
30	लद्दाख	3.4	21.90
31	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.11	--
32	पुडुचेरी	0.1	--
33	मुख्यालय	234.97	--
	कुलयोग	**12,354.34**	**6,837.05**

अनुलग्नक-II

"महाराष्ट्र के लिए विशेष सिंचाई योजनाएं" के संबंध में दिनांक 19.12.2024 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 4021 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

योजनाओं का प्रकार/क्षेत्र	क्र.सं.	लाभान्वित जिले	परियोजना का नाम
पीएमकेएसवाई-एआईबीपी	1.	भंडारा	बावनथाडी परियोजना
	2.	धुळे	लोअर पंजारा परियोजना
	3.	चंद्रपुर	डोंगरगांव परियोजना
	4.	कोल्हापुर और सांगली	वारना परियोजना
	5.	सांगली और सोलापुर	कृष्णा कोयना लिफ्ट सिंचाई योजना
	6.	औरंगाबाद	नंदूर माधमेश्वर फेज-II
	7.	बीड	ऊपरी कुंडलिका परियोजना
	8.	परभणी और जालना	लोअर दूधना परियोजना
	9.	परभणी, यवतमाल और नांदेड़	ऊपरी पेनगंगा परियोजना
	10.	बुलढाणा	खड़गपुरा परियोजना
	11.	पुणे और सतारा	धोम बालकावाड़ी परियोजना
	12.	सातारा	तराली परियोजना
	13.	सातारा	मोरना परियोजना
	14.	सातारा	कुडाली परियोजना
	15.	सातारा	वांग परियोजना
	16.	सातारा	जीहे कथापुर परियोजना
	17.	रत्नागिरी	गडनाडी परियोजना
	18.	रत्नागिरी	अर्जुन परियोजना
	19.	सिंधुदुर्ग	तिल्लारी परियोजना
	20.	सिंधुदुर्ग	अरुणा परियोजना
	21.	सिंधुदुर्ग	नारदवे परियोजना
	22.	सोलापुर	सांगोला ब्राचं नहर परियोजना
	23.	जळगाव	वाघुर परियोजना
	24.	जलगांव और बुलढाणा	बोडवाड परिसर सिंचाई योजना फेज-I
	25.	वर्धा	लोअर वर्धा परियोजना
	26.	यवतमाल	बेम्बला परियोजना,
	27.	अमरावती और अकोला	लोअर पेढ़ी परियोजना
	28.	नागपुर, भंडारा और चंद्रपुर	गोसीखुर्द परियोजना
महाराष्ट्र पैकेज - वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाएं	1	सतारा, सांगली और सोलापुर	तेंभू लिफ्ट सिंचाई योजना
	2	सातारा	उर्मोदी परियोजना
	3	धुळे	सुलवाडे जामफल कनोली लिफ्ट सिंचाई योजना
	4	जळगाव	शेलगांव बैराज मध्यम परियोजना
	5		वारखेड़ लोंधे परियोजना

		6	अकोला	घुंघशी बैराज लिफ्ट सिंचाई योजना
		7		पूर्णा बैराज नंबर 2 (नेर्धमान)
		8	बुलढाणा और अकोला	जिगांव परियोजना
महाराष्ट्र पैकेज - सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) योजनाएं	**विदर्भ**	1	अमरावती - 18 एसएमआई परियोजनाएं	भगड़ी, बोर नदी, चंद्रभागा बी., पाक नदी, रायगढ़, अमदा सौंदी, सोनगांव शिवानी, टकाली कलां, वाघडी बी., बागलिंगा, करजगांव, लोअर सखली, अंपाती (स्टोरेज टैंक), चंडी नदी परियोजना, भीमडी, जतमजारी, टिमतला और लोअर चारगढ़ परियोजना
		2	अकोला - 7 एसएमआई परियोजनाएं	कावथा बैराज, वाई एमआई, शाहपुर एमआई, पोपटखेड स्टोरेज 2, शाहपुर, नया अंदुरा और कटीपति परियोजना
		3	वाशिम - 18 एसएमआई परियोजनाएं	जयपुर, मंगलसा (स्टोरेज टैंक), मिर्जापुर एमआई, पलासखेड़ एमआई, पांगराबंदी, सुरखंडी (स्टोरेज टैंक), वादिराईतला, वाकड (स्टोरेज टैंक), वारा जहांगीर, स्वासिन एमआई टैंक, शेलगांव (स्टोरेज टैंक), अरकचिंचला, गोंडेगांव एमआई टैंक, इंगलवाड़ी (स्टोरेज टैंक), रैपेरी (स्टोरेज टैंक), उमरी (स्टोरेज टैंक), फलेगांव (स्टोरेज टैंक) और पांचला (स्टोरेज टैंक) परियोजना
		4	यवतमाल -14 एसएमआई परियोजनाएं	अंतरगांव, हटवंजारी, मानपुर स्टोरेज टैंक, कोहल, महादापुर, महागांव, डिगदोह, वरुड येवती, दहेगांव गरगोटी, लखमपुर, पचपाहर, अमदापुर, खारदा और कोच्चि अंबेजारी परियोजना
		5	बुलढाणा - 8 एसएमआई परियोजनाएं	चौंधी, दिग्रस केटी वियर, लोअर डायनगंगा, बोरखेड़ी, दुर्गाबोरी, अलेवाड़ी, अर्काचेरी और रहेरा (स्टोरेज टैंक) एमआई परियोजना
	मराठवाड़ा	6	वर्धा	शिरूर एमआई टैंक परियोजना
		7	औरंगाबाद - 5 एसएमआई परियोजनाएं	तितवी, बनोटी, देवगांव रंगारी, वानगांव पोहरी और सावलाडबारा स्टोरेज टैंक परियोजना
		8	जालना - 6 एसएमआई परियोजनाएं	पलासाखेड़ा, बारबाडा, हटवान, पटोदा, सोनखेड़ा और खोरादसावंगी एमआई परियोजना
		9	नांदेड़ - 2 एसएमआई परियोजनाएं	दरेसरसम और मणिरामखेड परियोजना
		10	लातूर - 3 एसएमआई परियोजनाएं	बोरासुरी स्टोरेज टैंक, वैरागढ़ स्टोरेज टैंक और चोंडी स्टोरेज टैंक परियोजना
		11	बीड	सातरा पोतरा स्टोरेज टैंक परियोजना

*****